भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3139

सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

ग्रामीण-शहरी संदर्भ में बेरोजगारी की स्थिति

3139. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महामारी के दौर में पैदा हुए बेरोजगारी के मौजूदा संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, विशेष रूप से तमिलनाडु में अल्परोजगार और प्रच्छनन रोजगार दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण-शहरी संदर्भ में बढ़ती बेरोजगारी और बेरोजगारी की स्थिति के कारणों की अलग से पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने गिग इकॉनमी के उदय और बेरोजगारी दर पर इसके प्रभाव के संबंध में बदलती आर्थिक स्थितियों की कोई प्रासंगिकता पाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21और 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जो रोजगार का संकेतक है क्रमशः 50.9%, 52.6% और 52.9% था जो वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:

वर्ष	बेरोजगारी दर (%)		
	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारत
2019-20	3.9	6.9	4.8
2020-21	3.3	6.7	4.2
2021-22	3.2	6.3	4.1

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति घट रही है।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) **अनुबंध** में है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 11.03.2023 तक, इस योजना के तहत 60.3 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 24.02.2023 तक 39.65 करोड़ ऋण खाते अनुमोदित किए गए।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 13.03.2023 तक, इस योजना के तहत 42.21 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है। सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

नीति आयोग ने "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि गिग वर्कफोर्स के वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन से वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। अध्ययन रिपोर्ट गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए दुनिया भर में अपनाए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालती है और कैसे वे भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं तथा भुगतान की गई बीमारी छुट्टी, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था सहायता एवं कार्य में अनियमितता की स्थिति में श्रमिकों को सहायता जैसी पहलों की सिफारिश की गई है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की परिकल्पना की गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में यह व्यवस्था की गई है कि एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित किया जाएगा, इसके लिए निधि के स्रोतों में से एक यह होगा कि - एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार के 1 से 2% के बीच एग्रीगेटर का योगदान हो, जो एग्रीगेटर द्वारा ऐसे कामगार को भुगतान की गई या देय राशि के 5% की सीमा के अधीन है।

सरकार ने गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें एक व्यक्ति स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकता है और इसमें लगभग 400 व्यवसाय है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 20.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार बेरोजगारी दर (यूआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	यूआर (% में)			डब्ल्यूपीआर (% में)		
		2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	4.7	4.1	4.2	55.5	58.6	57.8
2	अरुणाचल प्रदेश	6.7	5.7	7.7	44.3	48.5	47.1
3	असम	7.9	4.1	3.9	43.2	50.5	52.1
4	बिहार	5.1	4.6	5.9	39.7	39.9	39.3
5	छत्तीसगढ	3.3	2.5	2.4	65.4	63.6	64.9
6	दिल्ली	8.6	6.3	5.3	43.3	42.7	42.3
7	गोवा	8.1	10.5	12.0	47.3	43.4	41.6
8	गुजरात	2.0	2.2	2.0	54.7	55.0	56.8
9	हरियाणा	6.4	6.3	9.0	42.9	44.0	42.5
10	हिमाचल प्रदेश	3.7	3.3	4.0	70.5	69.5	71.2
11	झारखंड	4.2	3.1	2.0	53.6	59.6	60.7
12	कर्नाटक	4.2	2.7	3.2	53.1	55.3	53.0
13	केरल	10.0	10.1	9.6	45.3	46.1	48.8
14	मध्य प्रदेश	3.0	1.9	2.1	57.7	60.2	60.7
15	महाराष्ट्र	3.2	3.7	3.5	55.7	53.9	55.9
16	मणिपुर	9.5	5.6	9.0	45.5	41.0	40.6
17	मेघालय	2.7	1.7	2.6	58.6	62.0	60.5
18	मिजोरम	5.7	3.5	5.4	50.7	54.5	48.9
19	नागालैंड	25.7	19.2	9.1	44.8	49.5	58.4
20	ओडिशा	6.2	5.3	6.0	51.9	53.5	52.4
21	पंजाब	7.3	6.2	6.4	47.8	47.2	48.5
22	राजस्थान	4.5	4.7	4.7	55.0	55.3	54.7
23	सिक्किम	2.2	1.1	1.6	68.8	71.3	69.9
24	तमिलनाडु	5.3	5.2	4.8	55.3	56.9	55.8
25	तेलंगाना	7.0	4.9	4.2	55.7	57.8	58.1
26	त्रिपुरा	3.2	3.2	3.0	49.6	53.8	50.6
27	उत्तराखंड	7.1	6.9	7.8	49.5	48.7	48.7
28	उत्तर प्रदेश	4.4	4.2	2.9	45.1	48.0	50.1
29	पश्चिम बंगाल	4.6	3.5	3.4	49.7	53.0	52.7
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	12.6	9.1	7.8	49.8	58.2	59.2
31	चंडीगढ़	6.3	7.1	6.3	45.5	43.1	42.2
32	दादरा और नगर हवेली	3.0	4.2	5.2	72.2	54.0	65.8
33	दमन और दीव	2.9			64.5		
34	जम्मू और कश्मीर	6.7	5.9	5.2	52.5	55.5	58.3
35	लद्दाख	0.1	2.9	3.3	62.7	69.1	58.1
36	लक्षद्वीप	13.7	13.4	17.2	48.0	40.1	37.2
37	पुडुचेरी	7.6	6.7	5.8	47.7	48.1	51.2
अखिल भारत		4.8	4.2	4.1	50.9	52.6	52.9

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई